IMMEDIATE

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्र0एफ.15( )पंरावि/विधि/विशेष ग्राम सभा/2016/842 जयपुर,दि0 16-11-16

1. ज़िला कलेक्टर,समस्त ।
2. मुख्य/अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
ज़िला परिषद, समस्त ।

विषयः– पंचायती राज संस्थाओं के उप चुनाव से प्रभावित ग्राम पंचायतों में दिनांक 28 नवम्बर, 16 को ग्रामसभा एवं पंचायत शिविर आयोजित नहीं करने बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान द्वारा राज्य की कतिपय पंचायती राज संस्थाओं में ज़िला परिषद/पंचायत समिति सदस्यों तथा पंच/सरपंचों के रिक्त पदों हेतु उप चुनाव का कार्यक्रम दिनांक 15.11.2016 से 02.12.2016 की अवधि के लिए घोषित किया गया है ।

अतः निर्देशानुसार लेख है कि उपरोक्तानुसार घोषित उप चुनाव से पूर्णतया अथवा आंशिक तौर पर प्रभावित ग्राम पंचायतों में विभागीय पत्रांक 831 दिनांक 08.11.2016 द्वारा निर्धारित ग्राम सभाओं का आयोजन दिनांक 28.11.2016 को नहीं किया जाये । उक्त ग्राम पंचायतों में यह ग्राम सभाऐं दिनांक 03.12.2016 को आयोजित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

इस संबंध में यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार प्रभावित ग्राम पंचायतों में उक्त चुनाव कार्यक्रम की अवधि में पं0 दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण पंचायत शिविर का आयोजन भी स्थगित रखा जाये । जिन ग्राम पंचायतों में शिविर स्थगित रखे जायेंगे उनके आयोजन की आगामी तिथियां निर्धारित कर इसकी घोषणा /प्रचार–प्रसार समय रहते करना सुनिश्चित करें ।

(ललित कुमार)
उप शासन सचिव(विधि)